तारीख हुक्म

11-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांक 21.05.2024 आदेशिका अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थी हनुमानराम पुत्र प्रतापाराम का स्वीकार में विवेचित निर्णय के आधार संशोधित शीर्षक पेश करने का आदेश दिया गया था जो पेश नहीं किया है। आज दिनांक 11.06.2024 एक संशोधन शीर्षक पेश किया जो आदेशानुसार नहीं है। संशोधित शीर्षक में आत्माराम को 8 नम्बर पक्षकार बनाया गया, जबकि पूर्व में पेश संशोधित शीर्षक दिनांक 02.01.2024 में आत्माराम 11 नम्बर पर पक्षकार है। हनुमानाराम को पक्षकार ही नही बनाया गया है। इस प्रकार वादी वकील द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार संशोधित शीर्षक पेश नही कर न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय आदेश की पालना नहीं की गई।

दिनांक 21.05.2024 को वादी वकील को निर्देशित किया था कि '' प्रतिवादी संख्या 1/3/1 से 1/3/6, 2/1 से 2/6, 4/3, 7/1 से 7/4 व 9 कुल 18 पक्षकारों की तलबी बकाया हैं जो अभी तक पेश नहीं हैं जो तलबी के कई अवसर दिये जा चुके है। आगामी पेशी तारीख तक वादी वकील तलबी नहीं कराने की स्थिति में पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2024 को तलबी के अभाव में स्वतः खारीज मानी जावें।''

के आदेश की पालना में वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/3/1 से 1/3/6, 2/1 से 2/6, 4/3, 7/1 से 7/4 व 9 कुल 18 पक्षकारों की दिनांक 31.05.2024 को तलबी पेश नहीं की गई।

वादी व वादी वकील द्वारा वाद में पूर्व आदेशानुसार तलबी पेश नही की है।

आदेश 9 – पक्षकारों की अपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम

5 – जहाँ वादी, समन तामील के बिना लौटने के पश्चात, सात दिन, तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहाँ वाद का खारिज किया जाना (1) – जहाँ ... प्रतिवादियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) ...

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.6.24	में एक के नाम निकाले जाने और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से 2सात दिन, की अवधि तक, जिसकी न्यायालय को उस अधिकारी ने विवरणी दी है, जो तामील करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियों को न्यायालय को मामूली तौर से प्रमाणित करता है, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहाँ न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए किन्तु यदि वादी ने न्यायालय का यह समाधान उक्त अवधि के भीतर कर दिया है कि–	

(क) जिस प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई है उसके निवास स्थान का पता चलाने में वह अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के पश्चात् असफल रहा है, अथवा

(ख) ऐसा प्रतिवादी आदेशिका की तामील होने देने से अपने को बचा रहा है, अथवा

(ग) समय को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है, तो ऐसा आवेदन करने के लिए समय को न्यायालय इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझे।

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया जिसमे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक .16.09.2016 को प्रतिवादीगण की तलबी का आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 09 की आज दिन तक वादी वकील द्वारा तलबी पेश नहीं की गई।

हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2016 के आदेश की तामिल दिनांक 16.03.2018 को करवाई गई थी।

हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2019 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4/3 की तलबी नहीं करवाई गई। दिनांक 04.06.2019 के आदेश की पालना आज दिनांक तक नहीं की गई ।

हाजा न्यायालय द्वारा दि[illegible]2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी [illegible] किया गया था जिसकी संशोधित शीर्षक दिनांक 01.08.2023 को पेश करना था जबकि वादी वकील ने दिनांक 18.07.2023 के आदेष की पालना में

सहायक कलक्टर (SDO) धारामन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:39:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.6.24	संशोधित शीर्षक दिनांक 02.01.2024 को पेश किया था। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2023 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था। लेकिन आज तक उक्त आदेश की पालना में तलबी नहीं करवाई। आज न्यायालय हाजा द्वारा समय दिया गया तीन बजे तक कुछ सम्मन पेश किया लेकिन सम्मन के साथ तलबाना पेश नहीं किया गया। जिसकें प्रतिवादी संख्या 1/3/1 से 1/3/5 व 9 के सम्मन ही पेश नहीं किया गया। न्यायालय में वादी वकील ने सहयोग नहीं किया गया हैं पत्रावली के अध्ययन व अवलोकन से वादी मात्र प्रतिवादीगण को बैवजह से तंग करने के लिए पेश की है। सभी प्रतिवादीगण बंटवारा कराने के लिए तैयार है लेकिन वादी खुद रूचि नहीं ली जा रही हैं पत्रावली पुरानी हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व आवेदन दिनांक 16.09.2016,04.06.2019, 18.07.2023, 21.05.2023 आदेशों के बावजुद विप्रार्थीगण के सम्मन डाक रजिस्टर्ड भेजने के कई अवसर दिये जाने बावजूद भी वादी वकील ने प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नही किये। नौ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नही करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना Signature Not Verified Digitally signed by Dhirendra Singh Date: 2024.06.20 17:39:34 IST Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner